Dainik Jagran: Lucknow, 20th June 2020

निजी स्कूलों की फीस माफ नहीं होगी : डॉ. दिनेश शर्मा

डिप्टी सीएम बोले भ्रामक प्रचार करने वालों पर करेंगे कार्यवाही

लखनऊ : यूपी में कोरोना महामारी के कारण निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी नहीं की गई है। स्कूल पिछले साल की फीस ही लेंगे। [illegible] ऐसा कोई आदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से जारी नहीं किया गया है। यदि कोई फीस माफी को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार कर रहा है और अभिभावकों को गुमराह कर रहा है तो उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। [illegible] डॉ. दिनेश शर्मा ने शुक्रवार को मेरठ स्कूल फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल को दिया। [illegible] डिप्टी सीएम से मुलाकात करने पहुंचे प्रतिनिधिमंडल को उन्होंने भरोसा दिलाया कि निजी स्कूलों में भी बड़ी संख्या में शिक्षक और कर्मचारी हैं। राज्य सरकार को इनकी भी चिंता है, ऐसा कोई फैसला नहीं होगा जिससे उन्हें नुकसान हो। [illegible]

वेतन भोगी और समर्थ अभिभावक भरें फीस

वाराणसी | वरिष्ठ संवाददाता

शासन ने फीस न मिलने से स्कूलों को रही आर्थिक परेशानी की तरफ ध्यान दिया है। नियमित रूप से वेतन प्राप्त करने वाले अभिभावक अपने बच्चों की फीस जमा करने का निर्देश जारी हुआ है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को एक आदेश पत्र भेजा है।

आदेश के अनुसार नियमित रूप से वेतन प्राप्त कर रहे सामर्थ्यवान अभिभावक, नियमित वेतन भोगी सरकारी, सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारी और जो अभिभावक इनकम टैक्स देते हों, उनसे मासिक फीस जमा कराने की कार्रवाई की जाए। शासन के संज्ञान में आया है कि जो अभिभावक नियमित रूप से वेतन प्राप्त कर रहे हैं, वे भी स्कूलों की फीस नहीं जमा कर रहे हैं। जबकि विद्यालयों को शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन का निर्देश है।

अपर मुख्य सचिव के अनुसार लॉकडाउन के कारण जिन अभिभावकों के सामने आर्थिक संकट है, वे इस बारे में एक प्रार्थना पत्र प्रधानाचार्य और प्रबंधन को देंगे। प्रार्थनापत्र में उन परिस्थितियों का उल्लेख करेंगे जिनके कारण फीस जमा करने में दिक्कत आ रही है। विद्यालय के प्रबन्धक, प्रधानाचार्य प्रार्थना पत्र पर सकारात्मक रूप से विचार करते हुए आसान किश्तों में शुल्क लेंगे।

व्यवस्था

- डीआईओएस ने शासन के निर्देश के बारे में जानकारी दी
- आर्थिक संकट से घिरे अभिभावकों से लिया जाएगा प्रार्थनापत्र

ऑनलाइन पढ़ाई के लिए 14 तक जमा करें फीस

वाराणसी। निजी स्कूलों ने तय किया है कि यदि कोई अभिभावक बची हुई फीस में कम से कम एक माह की फीस 14 जुलाई तक नहीं जमा करता है तो उसके बच्चे को 15 जुलाई से ऑनलाइन पढ़ाई से वंचित कर दिया जाएगा। यह फैसला अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन की शनिवार को हुई ऑनलाइन बैठक में लिया गया। अभिभावकों को बची हुई फीस को अगले महीनों में समायोजित करने संबंधी साक्ष्य सहित लिखित प्रार्थना पत्र भी स्कूल को देना होगा।

प्राइवेट स्कूलों में फीस वृद्धि के खिलाफ याचिका खारिज

कंपोजिट फीस लेने की वैधता को दी गई थी चुनौती

प्रयागराज। निजी स्कूलों में फीस वृद्धि के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। याचिका में उ. प्र. स्व वित्तपोषित स्वतंत्र स्कूल (फीस नियमन) एक्ट 2018 की धारा 3(3) ए (4) को असंविधानिक घोषित करने की मांग की गई थी, जिसमें स्कूलों को कंपोजिट फीस लेने की छूट दी गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति एसडी सिंह की खंडपीठ ने नोएडा की अभीष्ट हुसुम गुप्ता की जनहित याचिका [illegible] पर दिया है।

याची का कहना था कि प्रमुख सचिव उ.प्र. माध्यमिक शिक्षा ने 7, 2[illegible] और 27 अप्रैल को अधिसूचना जा[illegible] कर सभी प्राइवेट स्कूलों को निर्[illegible] दिया है कि कोई भी स्कूल [illegible] डाउन की वजह से बढ़ी हुई फीस [illegible] वसूलेगा। इसके बावजूद स्कूलों [illegible] जबरन फीस जमा कराई जा रही है।

फीस अनिवार्य, किश्त की छूट

Published in: Dainik Jagran - iNext - Prayagraj Edition on Pg 1 on 5th July 2020.

17 स्कूल हैं [illegible]

67 स्कूल हैं [illegible]

1500 [illegible]

Dainik Jagran (i-Next): 5 July - Front Page Varanasi Ed.

कनफ्यूजन खत्म, पेरेंट्स को जमा करनी ही होगी फीस

प्रदेश सरकार ने जारी की गाइडलाइन, आर्थिक तंगी है तो किश्तों में फीस देने की छूट

LUCKNOW/VARANASI (4 July): कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन के बाद से जारी स्कूल फीस पर असमंजस की स्थिति को राज्य सरकार ने शनिवार को दूर कर दिया. जारी गाइडलाइन के अनुसार अब सभी पेरेंट्स को फीस जमा करनी ही होगी. जिन पेरेंट्स को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उनको फीस इंस्टॉलमेंट में देने की छूट मिलेगी. फीस जमा न करने की स्थिति में न तो किसी का नाम काटा जा सकेगा और न ही उनकी ऑनलाइन क्लासेज पर रोक लगाई जा सकेगी.

ट्रांसपोर्टेशन फीस नहीं

अपर मुख्य सचिव शिक्षा आराधना शुक्ला की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार वेतन को [illegible] करने के लिए स्कूलों में प्रिंसिपल और टीचर्स को 6 जुलाई से बुलाने की परमिशन प्रदान की है. इसके साथ ही लॉकडाउन की अवधि की ट्रांसपोर्टेशन फीस पेरेंट्स से नहीं वसूली जा सकेगी. सत्र 2020-21 के लिए फीस न बढ़ाने की बात दोहराई गई है.

कोरोना से बचाव के लिए ये हैं गाइडलाइंस

- स्कूल कैंपस और फर्नीचर को रोज सेनेटाइज करना होगा.
- स्कूल में आने वाले सभी कर्मचारियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाए.
- टेंपरेचर अधिक होने और खांसी के लक्षण पर उनको वापस भेजा जाए.
- इसकी सूचना तत्काल सीएमओ को देनी होगी.

कौन से पेरेंट्स हैं सक्षम?

- जिनको लॉकडाउन में सैलरी मिल रही है
- जो इनकम टैक्स का भुगतान कर रहे
- जो पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में हों
- लॉकडाउन के दौरान भी जिनका बिजनेस चल रहा हो

बुक्स के लिए स्कूल्स में स्टॉल

सरकार ने सभी बोर्ड के 12वीं तक के स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेज शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं, वहीं स्टूडेंट्स की सुविधा के लिए स्कूल्स में बुक्स स्टॉल लगाने की परमिशन भी दे दी गई है, जिससे स्टूडेंट्स को बुक्स के लिए भटकना न पड़े.

टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई

- जारी गाइडलाइन के अनुसार पढ़ाई की जानकारी देने के लिए अभिभावक संघ की बैठक जरूर बुलाई जाए.
- स्कूल प्रबंधन के साथ ही प्रिंसिपल और टीचर्स को ऑनलाइन टीचिंग के लिए ट्रेंड किया जाए.
- हर क्लास के लिए सब्जेक्ट के हिसाब से टाइम टेबल तैयार हो.
- 15 जुलाई तक ऑनलाइन टीचिंग की व्यवस्था शुरू कर दी जाए.

जो पेरेंट्स सक्षम हैं, वे भी फीस नहीं जमा कर रहे हैं. ऐसे पेरेंट्स 14 जुलाई तक फीस नहीं जमा करेंगे तो उनके बच्चों को ऑनलाइन क्लास की सुविधा नहीं मिलेगी. जो फीस किश्तों में या किसी भी तरह से जमा करते हैं, उन्हें सुविधाएं दी जा रही हैं. जिन्हें दिक्कत है वे संपर्क कर सकते हैं.

अनिल अग्रवाल अध्यक्ष, अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन

वेतन देने की दिक्कत

VARANASI (4 July): फीस नहीं मिलने से स्कूलों के सामने मुश्किल खड़ी हो गयी है. अपने स्टॉफ को सैलरी नहीं दे पा रहे हैं. स्कूल लगातार पेरेंट्स से स्कूल फीस जमा करने की अपील कर रहे हैं लेकिन कुछ पर ही इसका असर हो रहा है. स्कूलों के [illegible] के बाद भी 10 से 20 प्रतिशत पेरेंट्स ही फीस जमा कर रहे हैं. एक तरफ फीस नहीं मिलने वहीं हर माह स्टॉफ को वेतन देने की समस्या से दो-चार हो रहे स्कूल मैनेजमेंट को समझ नहीं आ रहा कि किस तरह खर्च मैनेज करें. कई स्कूलों ने अपने स्टॉफ की सैलरी कम कर दी है. इसे लेकर भी उन्हें नाराजगी झेलनी हो रही है. प्रदेश सरकार की नयी गाइडलाइन से स्कूलों को काफी राहत होगी.

स्कूलों की संख्या

120 सीबीएसई

20 आईसीएसई

450 यूपी बोर्ड

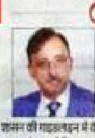

शासन की गाइडलाइन में ये स्पष्ट हो चुका है कि सक्षम लोग स्कूल की फीस जमा कर दें. जिससे स्कूल के टीचर्स और स्टॉफ का सैलरी सहित अन्य कार्यों को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके.

डॉ. दीपक मधोक, अध्यक्ष, पूर्वांचल स्कूल एसोसिएशन

अक्सर लोगों की आड़ में बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स जो फीस दे सकते हैं वे भी अपने बच्चों की फीस जमा नहीं कर रहे हैं. लेकिन अब सरकार ने इसे स्पष्ट कर दिया है. जिसका उनको पालन करना चाहिए.

राहुल सिंह, उपाध्यक्ष, पूर्वांचल स्कूल एसोसिएशन

Jansandesh Times: Agra, 20th June 2020

भ्रामक प्रचार करने वालों के खिलाफ होगी कठोर कार्रवाई

जनसंदेश टाइम्स

आगरा। प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने स्पष्ट किया है कि निजी स्कूल विद्यार्थियों की फीस माफ करेंगे, ऐसा कोई आदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से जारी नहीं किया गया है। यदि कोई फीस माफी को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार कर रहा है और अभिभावकों को गुमराह कर रहा है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

उप-मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने मेरठ स्कूल फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि निजी स्कूल विद्यार्थियों की फीस माफ करेंगे, ऐसा कोई आदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से जारी नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी नहीं की गई है। स्कूल पिछले साल की फीस ही लेंगे। इस फैसले को सख्ती से लागू करवाया गया है। उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों में भी बड़ी संख्या में शिक्षक और कर्मचारी हैं। राज्य सरकार को इनकी भी चिंता है। ऐसा कोई फैसला नहीं होगा। जिससे उन्हें नुकसान हो।

निजी स्कूलों की फीस माफी का आदेश नहीं हुआ जारी: डिप्टी सीएम

Dear Parent,

The school is reasonably sympathetic towards the financial constraints of some parents, and therefore, has not enhanced the fees, now for the fourth consecutive year. We are open for granting time extension for the FIRST QUARTER FEES, if a parent is genuinely hard pressed due to Covid19.

Such parents may immediately contact the school for TIME EXTENTION or e-mail at ghsstudents1861@gmail.com (mentioning clearly the specific reason for their request).

Please note that it has been made very clear that ALL GOVT. EMPLOYEES, OR THOSE RECEIVING INCOME OR PAYING INCOME TAX WILL HAVE TO DEPOSIT THE SCHOOL FEES. Parents paying monthly/ quarterly fees (in installments), are requested to clear their dues for April, May and June (1st quarter) ONLINE BEFORE 15th July 2020. Please remember, during this pandemic, ONLY THE SCHOOL BUILDINGS ARE CLOSED. HOWEVER THE TEACHERS & STAFF ARE WORKING HARDER THAN EVER TO PROVIDE ONLINE EDUCATION. TIMELY PAYMENT OF SCHOOL FEE ENABLES US TO PAY THEM ON TIME.

Ignore this if already paid.